



LANDMARK JUDGMENTS



Romesh Thappar vs State of Madras (1949)



Romesh Thappar was a political commentator and communist.
रोमेश थापर एक राजनीतिक टिप्पणीकार और कम्युनिस्ट थे।



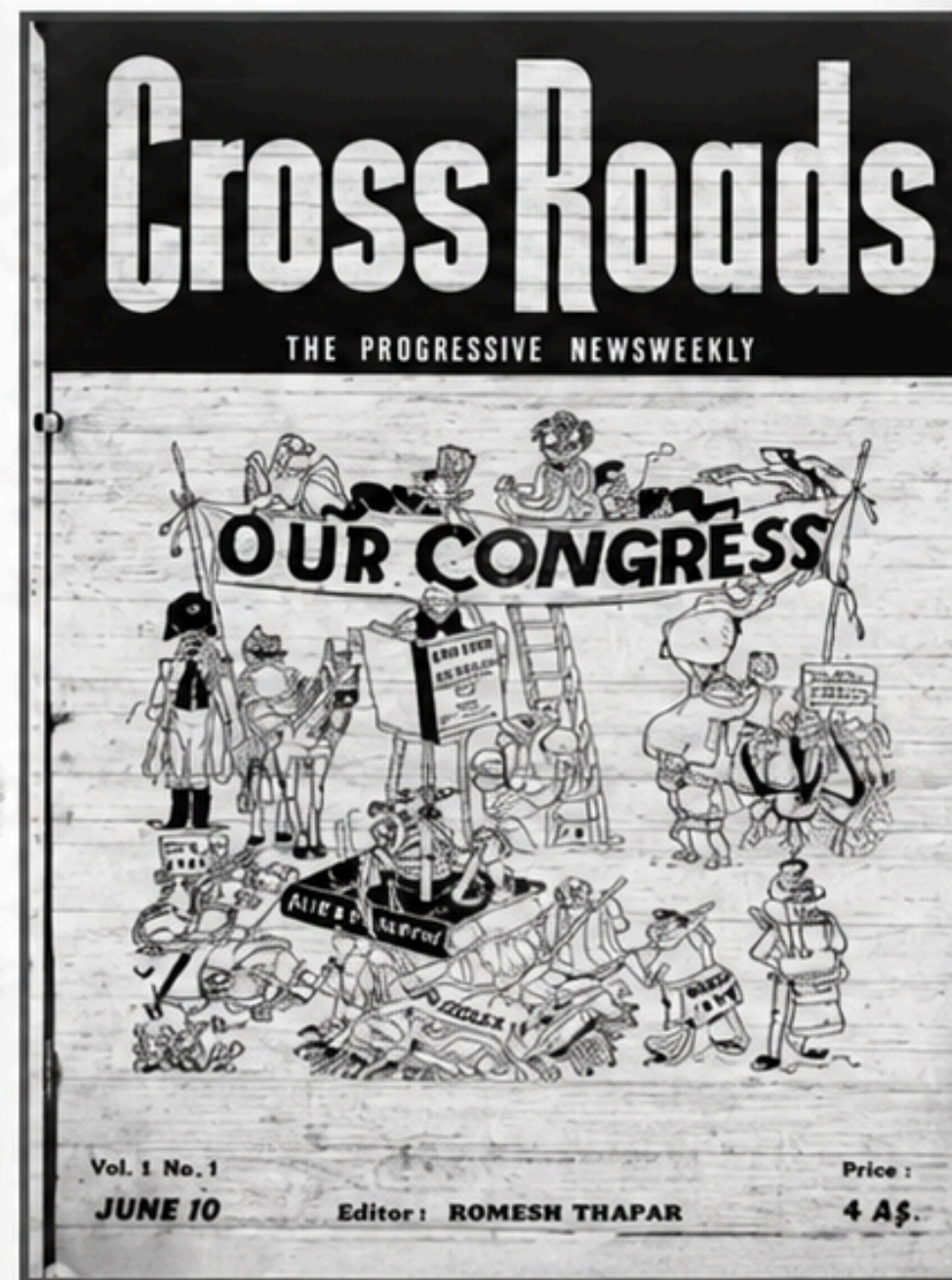
He published an English journal called Cross Roads.
उन्होंने Cross Roads नामक एक अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित की।



It was printed and published in Bombay.
यह बंबई में मुद्रित और प्रकाशित की जाती थी।



The magazine published critical articles on Nehru's policies, especially his foreign policy.
पत्रिका नेहरू की नीतियों, विशेष रूप से उनकी विदेश नीति पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए।



The then-Madras government **banned** the journal's circulation in the former State of Madras under Section 9 (1-A) of the Madras Maintenance of Public Order Act, 1949.

तत्कालीन मद्रास सरकार ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, 1949 की धारा 9 (1-ए) के तहत पूर्ववर्ती मद्रास राज्य में पत्रिका के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया।



Rohit Yadav

PhD Scholar at
Central University of Rajasthan

JRF Media Academy



UGC-NET PAPER 1

FULL COURSE

✓ Let's Find Out Every Concept in Detail.



COMPLETE SYLLABUS – TOPIC WISE



LATEST PYQ's WITH DETAILED SOLUTIONS



TOPIC-WISE VIDEO LECTURES



HINDI & ENGLISH



MASS COMMUNICATION
PAPER 2

FULL COURSE



UGC-NET by **Rohit**

UGC-NET Paper 1 Complete Syllabus with
Latest PYQ's Solutions.

Arguments | तर्क



Romesh Thappar challenged the ban by submitting a legal petition to the Supreme Court. The petition argued that the authorities under the Act restricted the freedom of expression protected by Article 19 of the Constitution of India.

रोमेश थापर ने सुप्रीम कोर्ट में कानूनी याचिका दायर करके प्रतिबंध को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि अधिनियम के तहत अधिकारियों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई।



The State contended that limiting the journal was important for public safety, preserving public order, and enhancing state security – a justifiable restriction on freedom of expression under Article 19(2).

राज्य का कहना था कि जन सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पत्रिका पर रोक लगाना महत्वपूर्ण था – जो अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध है।



Judgement | निर्णय



The ruled that Section 9(1-A) of the Madras Maintenance of Public Order Act, which allowed the government to impose restrictions in the interest of public safety and order, was **unconstitutional as it flouted the permissible limits of restricting freedom of speech and expression.**

न्यायालय ने माना कि मद्रास लोक व्यवस्था अधिनियम की धारा 9(1-A), जो सरकार को जन सुरक्षा और व्यवस्था के हित में प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति सीमाओं का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक थी।



Article 13 (1) states that all the laws which are made before the Constitution will be void as long as they are violating the provisions of the Fundamental Rights.

अनुच्छेद 13 (1) में कहा गया है कि संविधान बनने से पहले बनाए गए सभी कानून तब तक शून्य होंगे जब तक वे मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।



BRIJ BHUSHAN VS. THE STATE OF DELHI (1950)

Keyword: Organizer, Precensorship



A magazine run by the name of the **Organizer** by the **Rashtriya Svaramsevak Sangh (RSS)**, with **Brij Bhushan** as its printer/publisher राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा संचालित 'ऑर्गेनाइजर' नामक एक पत्रिका, जिसमें बृज भूषण प्रिंटर/प्रकाशक थे।



In 1950, the Chief Commissioner of Delhi issued a “**pre-censorship order**” on **Organiser**
1950 में, दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने 'ऑर्गेनाइजर' पर “पूर्व-सेंसरशिप आदेश” जारी किया।



It was alleged in the notice that the Organizer was publishing communal material, and it directed the magazine to submit all material to the government for prior censorship.
नोटिस में आरोप लगाया गया कि ऑर्गेनाइजर सांप्रदायिक सामग्री प्रकाशित कर रहा है, और पत्रिका को पूर्व-सेंसरशिप के लिए सभी सामग्री सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया।



Brij Bhushan (printer and publisher) petitioned the Supreme Court, which overturned the Chief Commissioner's order and ruled that pre-censorship on a journal restricted press freedom.
बृज भूषण (प्रिंटर और प्रकाशक) ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसने मुख्य आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि किसी पत्रिका पर पूर्व-सेंसरशिप प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाती है।



JUDGEMENT | निर्णय

In Brij Bhushan, the Court found that to impose pre-censorship on a journal, as had been ordered by the Chief Commissioner in the case, is a **restriction on the liberty of the press** included within the right to freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a).

बृज भूषण मामले में, न्यायालय ने पाया कि किसी पत्रिका पर पूर्व-सेंसरशिप लगाना, जैसा कि इस मामले में मुख्य आयुक्त द्वारा आदेशित किया गया था, अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित प्रेस की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है।



The Supreme Court decided both cases with a majority of **5:1 against the Nehru government**.

सर्वोच्च न्यायालय ने नेहरू सरकार के खिलाफ दोनों मामलों में 5:1 के बहुमत से निर्णय दिया।



प्रेस की स्वतंत्रता
लोकतंत्र की नींव





THE FIRST AMMENDMENT IN INDIAN CONSTITUTION



“I drew your attention to the Supreme Court decision in **Cross Roads** and **Organiser** cases. That knocks the bottom out of most of our penal laws for the control and regulation of the press.”

Sardar Vallabhbhai Patel in a letter to Nehru on July 3, 1950

“मैं आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के **क्रॉस रोड्स** और **ऑर्गनाइजर** मामलों के निर्णय की ओर दिलाता हूँ। यह निर्णय प्रेस के निबंधन और विनियमन के लिए हमारे अधिकांश दंडात्मक कानूनों की नींव ही हिला देता है।”

सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 3 जुलाई, 1950 को नेहरू को पत्र



- In **June 1951**, the Constitution (First Amendment) Bill amended **Article 19(2)** to include three new restrictions on the right to free speech.

- **जून 1951** में, संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक द्वारा **अनुच्छेद 19(2)** में संशोधन किया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर तीन नए प्रतिबंध जोड़े गए।

- These were “**public order**”, “**friendly relations with foreign states**”, and “**incitement to an offence**”.

- ये थे “**सार्वजनिक व्यवस्था**”, “**विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध**”, और “**अपराध के लिए उकसाना**”।



VIRENDRA VS THE STATE OF PUNJAB (1957)



Virendra was the editor of two newspapers, Pratap and K. Narendra was the editor of Vir Arjun.
वीरेंद्र दो समाचार पत्रों, प्रताप और के. नरेंद्र के संपादक थे, और वीर अर्जुन के संपादक थे।



The state government issued orders under Section 3 of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956.
राज्य सरकार ने पंजाब विशेष शक्तियों (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत आदेश जारी किए।



These orders imposed restrictions on publishing certain materials in Virendra's newspapers.
इन आदेशों में वीरेंद्र के समाचार पत्रों में कुछ सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाया गया।



Virendra challenged these government orders.
वीरेंद्र ने इन सरकारी आदेशों को चुनौती दी।



The challenge was because the orders violated his fundamental right to freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a) of the Indian Constitution.
यह चुनौती इसलिए दी गई क्योंकि ये आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते थे।



Fundamental Right to Freedom of Speech & Expression
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार



Challenge Against Government Orders
सरकारी आदेशों को चुनौती



Restrictions on Publishing Certain Materials
कुछ सामग्री प्रकाशित करने पर प्रतिबंध



Landmark Case for Press Freedom in India
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का ऐतिहासिक मामला

“

‘.... prohibit Shri Virendra, the printer, publisher and the editor of ‘Pratap’ from printing and publishing **any article, report, news item, letter or any other material** of any character whatsoever relating to or connected with **“save Hindi agitation”** for a period of two months from the date.’

Sd/- Home Secretary to Government Punjab.....”

”



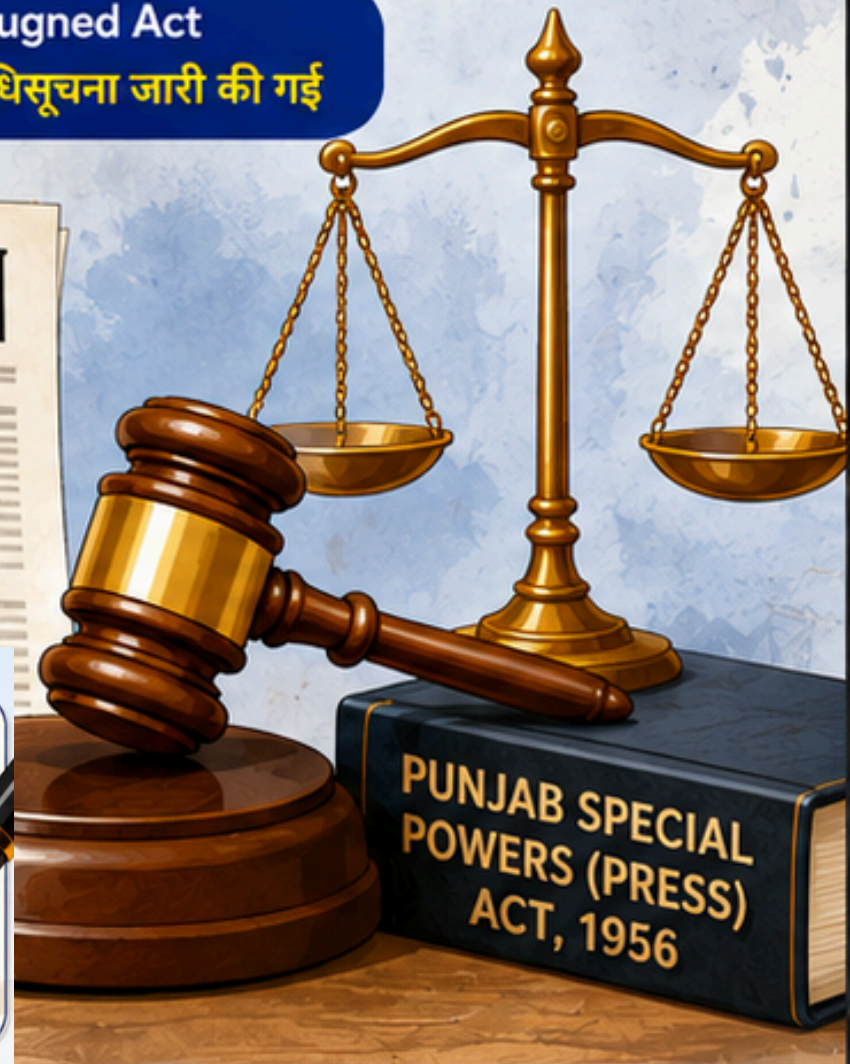
July 13, 1957, a Notification under s.2(1)(a) of the impugned Act
13 जुलाई, 1957 को चुनौतीपूर्ण अधिनियम की धारा 2(1)(a) के तहत अधिसूचना जारी की गई



राज्य सरकार का आदेश

“

“....में, श्री वीरेंद्र, मुद्रक, प्रकाशक और 'प्रताप' के संपादक को, किसी भी प्रकार का लेख, रिपोर्ट, समाचार, पत्र या कोई अन्य सामग्री जो किसी भी प्रकार से **'हिंदी आंदोलन को बचाओ'** से संबंधित या उससे जुड़ी हो, प्रकाशित करने से आज की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित करता हूँ। -Sd/- होम सेक्रेटरी, पंजाब सरकार.....”





VIRENDRA VS THE STATE OF PUNJAB (1957)



1

BACKGROUND / पृष्ठभूमि

SAVE HINDI



A notification was passed by the home ministry office under the impugned Act prohibiting the publication and printing of any material relating to the 'Save Hindi agitation'.

गृहमंत्रालय ने एक अधिनियम के तहत अधिसूचना पारित कर 'हिंदी बचाओं आंदोलन' से संबंधित किसी भी सामग्री के प्रकाशन और मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिया।



"Save Hindi Agitation" was led by an organization called Hindi Raksha Samiti.

'हिंदी बचाओं आंदोलन' का नेतृत्व हिंदी रक्षा समिति नामक संगठन ने किया।



The petitioners filed a complaint alleging that the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956 passed by the state legislature was unconstitutional.

याचिकाकर्ताओं ने शिकायत दर्ज की कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित पंजाब विशेष शक्तियां (प्रेस) अधिनियम, 1956 असंवैधानिक है।

2

SECTION 3(1) IN THE PUNJAB SPECIAL POWERS (PRESS) ACT, 1956



"The State Government or any authority authorised by it in this behalf, if satisfied that such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of communal harmony affecting or likely to affect public order, may, by notification, prohibit the bringing into Punjab of any newspaper, periodical, leaflet or other publication."

"यदि राज्य सरकार या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कोई भी प्राधिकारी यह संतुष्ट हो कि साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली या लोक-व्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना रखने वाली किसी गतिविधि को रोकने या उससे निपटने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी भी समाचारपत्र, पत्रिका, पर्चे या अन्य प्रकाशन को पंजाब में लाने पर प्रतिबंध लगा सकता है।"



3

JUDGEMENT / निर्णय



The Supreme Court found that, Preventing any newspaper from publishing any article of current importance is encroachment of the freedom of speech and expression.

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी भी समाचारपत्र को समसामयिक महत्व का लेख प्रकाशित करने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।



The Supreme Court quashed Section 3(1) of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, due to its lack of reasonable safeguards, thereby protecting the fundamental right to freedom of speech and expression.

सर्वोच्च न्यायालय ने उचित सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण पंजाब विशेष शक्तियां (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) को रद्द कर दिया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा हुई।



The Supreme Court found that Section 3(1) of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, lacked necessary safeguards, such as a time limit for the operation of orders and provisions for representation to the State Government.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंजाब विशेष शक्तियां (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) में आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव था, जैसे आदेशों की अवधि के लिए समय सीमा और राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व का प्रावधान।



सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA



JRF Media Academy by Rohit

Pandit M. S. M. Sharma vs Shri Sri Krishna Sinha And Others (1958)

Key Issue: Freedom of the Press vs. Legislative Privileges

- Pandit M. S. M. Sharma, the editor of a newspaper called "Searchlight," पंडित एम, एस, एम. शर्मा, एक समाचारपत्र "सर्चलाइट" के संपादक थे,

- It published certain proceedings of the Bihar Legislative Assembly.

इसने बिहार विधान सभा की कुछ कार्यवाहियों को प्रकाशित किया।

- These proceedings included portions of a speech by a member that had been **expunged (removed)** by the Speaker of the Assembly.

इन कार्यवाहियों में एक सदस्य के भाषण के वे हिस्से भी शामिल थे, जिन्हें बिधानसभा अध्यक्ष द्वारा **निष्कासित (हटा दिया गया)** कर दिया गया था।

- Maheshwar Prasad Narayan Sinha, a member of the Bihar Legislative Assembly delivered a speech on the floor of the Assembly described as "one of the bitterest attacks against the way the Chief Minister was conducting the administration of the State."

महेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा, बिहार विधान सभा के एक सदस्य ने सभा के पटल पर एक भाषण दिया, जिसे "मुख्यमंत्री द्वारा राज्य प्रशासन के संचालन के तरीके के विरुद्ध सबसे तीखे हमलों में से एक" बताया गया।



Pandit M. S. M. Sharma vs Shri Sri Krishna Sinha And Others (1958)



In spite of the remarks being expunged, on May 31, 1957, "Searchlight published a report of the speech of Maheshwar Prasad Narayan Sinha."
On June 10, 1957

Conflict



Privilege of the House under Article 194(3) [would] prevail over the fundamental right [to free speech and expression] under Article 19(1)(a) ?

Judgement



- The court held that the privileges of the legislature, as mentioned in Article 194(3) of the Constitution, took precedence over the freedom of speech and expression guaranteed under Article 19(1)(a).
- The Court emphasized that these privileges were essential for the smooth functioning of legislative bodies and to ensure the dignity and independence of the legislature.

Breach of Privilege: Sharma had committed a breach of privilege by publishing expunged portions of the Assembly proceedings. The Assembly was within its rights to issue a notice and potentially take punitive action against him.

पंडित एम. एस. एम. शर्मा बनाम श्री श्री कृष्ण सिन्हा और अन्य (1958)



आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाए जाने के बावजूद, 31 मई, 1957 को, "सर्चलाइट ने महेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा के भाषण की रिपोर्ट प्रकाशित की।
10 जून, 1957 को

संचर्ष

क्या अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत सदन के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत मौलिक अधिकार [वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता] पर प्रधान होंगे ?



निर्णय

- न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 194(3) में उल्लिखित विधायिका के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रधानता रखते हैं।
- न्यायालय ने बल दिया कि ये विशेषाधिकार विधायी निकायों के सुचारु कार्य संचालन तथा विधाधिका की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

विशेषाधिकार का उल्लंघन: शर्मा ने विधानसभा की कार्यवाही के आपत्तिजनक अंश प्रकाशित करके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया था। विधानसभा को नोटिस जारी करने और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार था।

ARTICLE 194(3)
VS
ARTICLE 19(1)(a)

Sakal Papers v. Union of India

सकल पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

Historical Context

Appointment of Press Commission (1952):

- ▶ The Government appointed a Press Commission in 1952.
- ▶ The Commission was tasked with addressing issues related to the press.

Recommendations of the Press Commission:

- ▶ The Commission formulated a report with certain recommendations.
- ▶ These recommendations became the basis for enacting the Newspaper (Price and Page) Act of 1956.

Newspaper (Price and Page) Act, 1956 and order in 1960

- ▶ The Act regulated the pricing and pagination of newspapers.
- ▶ It mandated that newspaper companies charge prices based on the number of published pages.
- ▶ If a newspaper published more pages, it was required to charge more.
- ▶ The Order prescribed specific areas for advertisements.
- ▶ It also allocated space for advertisements in newspapers.
- ▶ The number of supplements that could be published was also regulated.

ऐतिहासिक संदर्भ

प्रेस आयोग की नियुक्ति (1952):

- ▶ सरकार ने 1952 में प्रेस आयोग की नियुक्ति की।
- ▶ आयोग को प्रेस से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया।

प्रेस आयोग की सिफारिशें:

- ▶ आयोग ने कुछ सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की।
- ▶ इन सिफारिशों के आधार पर, 1956 का समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम बनाया गया।

समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 और 1960 का आदेश

- ▶ अधिनियम ने समाचारपत्रों के मूल्य निर्धारण और पृष्ठ संख्या को विनियमित किया।
- ▶ यह अनिवार्य किया गया कि समाचारपत्र कंपनियों प्रकाशित पृष्ठों की संख्या के आधार पर मूल्य निर्धारित करें।
- ▶ यदि कोई समाचारपत्र अधिक पृष्ठ प्रकाशित करता है, तो अधिक मूल्य लेना आवश्यक था।
- ▶ आदेश में विज्ञापनों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया गया।
- ▶ समाचारपत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान भी आवंटित किया गया।
- ▶ कितने परिशिष्ट प्रकाशित किए जा सकते हैं, यह भी विनियमित किया गया।

VS

Conflict

Does the Freedom of Speech and Expression include the Freedom of publishing and circulation?

संघर्ष

क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रकाशन और प्रसार की स्वतंत्रता भी शामिल है?



Sakal Papers v. Union of India



- 'Sakal' is published daily and weekly in Marathi newspapers.
- 'सकाळ' मराठी भाषा के दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है।



- The newspaper played a significant role in disseminating news and shaping public opinion.
- समाचार पत्र ने समाचारों के प्रसार और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



- A net circulation of 52,000 copies on weekdays and 56,000 on Sundays in Maharashtra and Karnataka.
- महाराष्ट्र और कर्नाटक में सप्ताह के दिनों में 52,000 और रविवार को 56,000 प्रतियों का प्रसार।



- The Central Government passed the Newspaper (Price and Page) Act, 1956, and later the Daily Newspapers (Price and Page) Order, 1960.
- केंद्र सरकार ने समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 पारित किया और बाद में दैनिक समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) आदेश, 1960 जारी किया।



- This order set a limit on the maximum number of pages newspapers could publish.
- इस आदेश ने समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किए जा सकने वाले अधिकतम पृष्ठों की सीमा निर्धारित की।



- The petitioner challenged the constitutionality of the Act in court.
- याचिकाकर्ता ने अधिनियम की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी।

Sakal Papers v. Union of India



Judgement

The Court held that the citizens' rights to propagate their ideas and to do so should be given the right of publishing and disseminating, and circulate the information. The citizen can propagate either orally or by writing and hence the right to propagate comes under the ambit of the Right to Freedom of Speech and Expression.

न्यायालय ने माना कि नागरिकों के विचारों के प्रचार का अधिकार, और इसके लिए प्रकाशन और प्रसार का अधिकार दिया जाना चाहिए। नागरिक मौखिक या लिखित रूप में प्रचार कर सकता है, इसलिए प्रचार का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।



Judgement

The court held that Section 3(1) of the Act was unconstitutional and that an order made under the same would be unconstitutional.

न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 3(1) असंवैधानिक थी और इसके अंतर्गत किया गया आदेश भी असंवैधानिक होगा।



Judgement

The Court undisputedly held that "the publication of newspapers not only pertained to freedom of speech and expression but also conduct a business according to Article 19(1) (g), which essentially implied reasonable restrictions on the newspaper business."

न्यायालय ने निर्विवाद रूप से माना कि "समाचार पत्रों का प्रकाशन न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है बल्कि अनुच्छेद 19(1) (ग) के अनुसार व्यवसाय करने से भी संबंधित है, जिसमें समाचार पत्र व्यवसाय पर उचित प्रतिबंध निहित हैं।"



JRF Media Academy by Rohit

Sakal Papers v. Union of India

Article 19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.

All citizens shall have the right-
सभी नागरिकों को निम्नलिखित का अधिकार होगा-



a

to freedom of speech
and expression;
वाक और अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का अधिकार;



b

to assemble peaceably
and without arms;
शांतिपूर्वक और बिना हथियार
एकत्र होने का अधिकार;



c

to form associations or
unions or co-operative
societies;
संघ या संगठन या सहकारी
समितियों बनाने का अधिकार;



d

to move freely throughout
the territory of India;
भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र
रूप से घूमने का अधिकार;



e

to reside and settle in
any part of the territory
of India;
भारत के किसी भी भाग में निवास
करने और बसने का अधिकार;



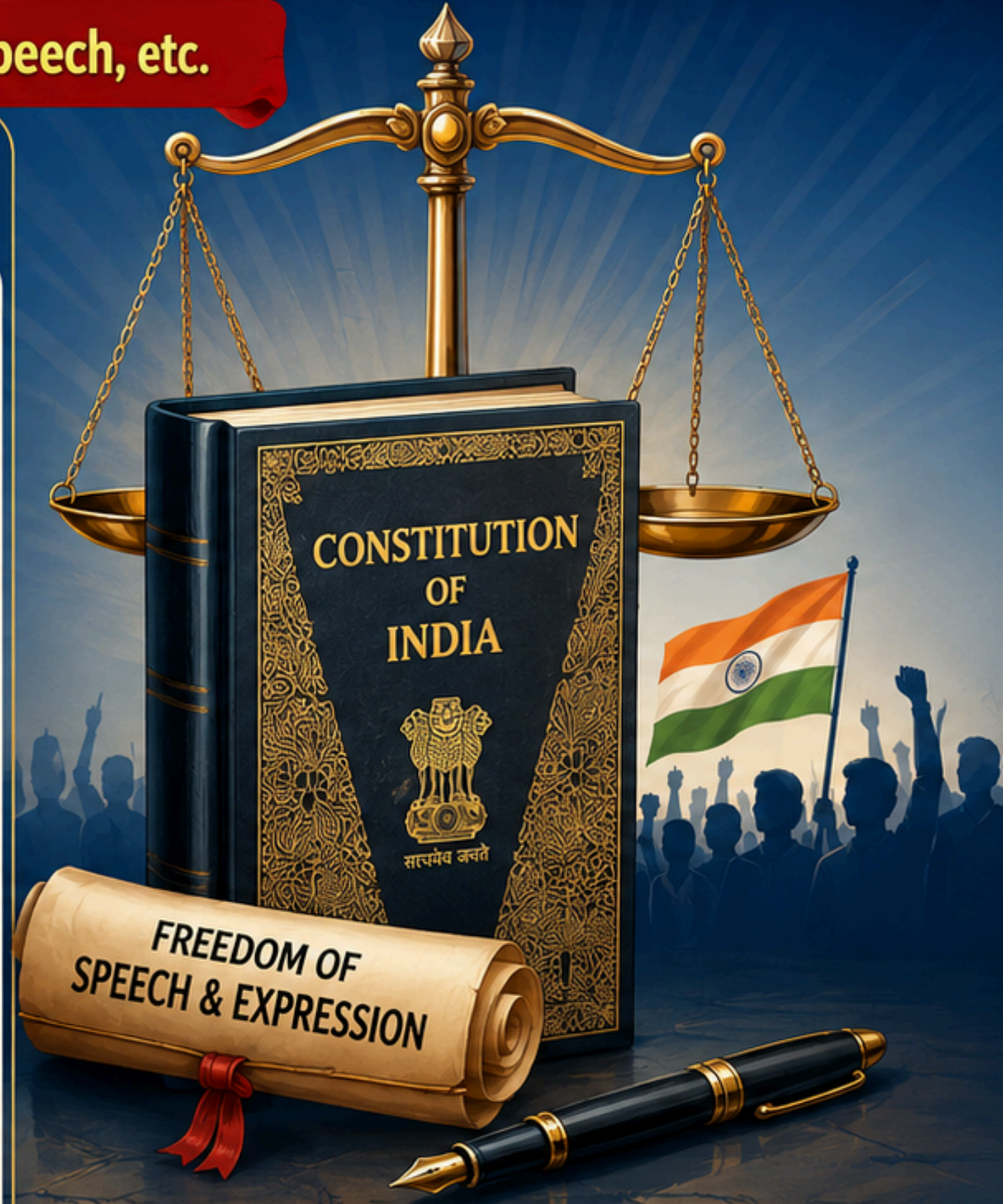
f

sub-clause (f)
shall be omitted;
उप-धारा (f) को
हटा दिया जाएगा;



g

to practise any profession,
or to carry on any
occupation, trade or
business.
किसी भी पेशे का अभ्यास करने,
या कोई व्यवसाय, व्यापार या धंधा
करने का अधिकार।



JRF Media Academy by Rohit

Bennett Coleman & Co. vs. Union of India (1973)



JRF Media Academy
by Rohit

Newsprint Order 1962

न्यूज़प्रिंट आदेश 1962

Regulated how much newspapers could use imported newsprint.
आयातित न्यूज़प्रिंट के उपयोग को नियंत्रित किया।

- The Newsprint Control Order of 1962 was passed under the Essential Commodities Act of 1955 to regulate the production and trade of newsprint in India.
- न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश 1962, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पारित किया गया था ताकि भारत में न्यूज़प्रिंट के उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित किया जा सके।
- The order included quantitative controls, such as page limits, that some argued restricted freedom of the press and expression. In *Bennett Coleman & Co. v. Union of India*, the Supreme Court ruled that the policy was unconstitutional.
- इस आदेश में मात्रात्मक नियंत्रण, जैसे पेज लिमिट, शामिल थे, जिनके कारण प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगने का तर्क दिया गया। *Bennett Coleman & Co. v. Union of India* में, सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति को असंवैधानिक ठहराया।



Bennett, Coleman & Co. Ltd.

Newsprint Policy 1972-73

न्यूज़प्रिंट नीति 1972-73

It placed additional restrictions on newspaper establishments:
इसने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए:



Prohibition of new newspapers by establishments owning more than two newspapers, if at least one is a daily publication.

यदि उनमें से कम से कम एक दैनिक प्रकाशन है, तो दो से अधिक समाचार पत्र रखने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा नए समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध।



Limiting the total number of pages to ten.

कुल पृष्ठों की संख्या को दस तक सीमित करना।



Restricting the number of pages increase to not more than 20% for newspapers under ten pages.

दस पृष्ठों से कम वाले समाचार पत्रों के लिए पृष्ठों की वृद्धि को 20% से अधिक न होने देना।



Bennett Coleman & Co. vs. Union of India (1973)



Judgement

It placed additional restrictions on newspaper establishments:

- In the case of Bennett Coleman vs Union of India, the court deemed specific provisions of the 1972-73 newsprint Policy **unconstitutional**.
- The Supreme Court found that the policy's quantitative restrictions, like page limits, **unreasonably limited** press and expression freedoms.
- Justice Ray emphasized the fundamental importance of **press freedom under Article 19(1)(a)** when declaring the policy **unconstitutional**.



निर्णय

इसने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए:

- बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ के मामले में, न्यायालय ने 1972-73 की न्यूज़प्रिंट नीति के विशिष्ट प्रावधानों को **असंवैधानिक** माना।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि नीति में मात्रात्मक प्रतिबंध, जैसे पृष्ठ सीमा, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को **अनुचित रूप से सीमित** करते हैं।
- न्यायमूर्ति रे ने नीति को असंवैधानिक घोषित करते समय अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत **प्रेस की स्वतंत्रता** के मौलिक महत्व पर जोर दिया।



Indian Express Newspapers vs Union of India 1985



JRF Media Academy
by Rohit

CUSTOM
DUTY

%

Custom Duty on Newprint

न्यूज़प्रिंट पर सीमा शुल्क

- In 1985, the government of India began **levying import duty on the newsprints imported from abroad along with customs duty**, leading to a surge in newspaper prices and further affecting circulation.

1985 में, भारत सरकार ने विदेश से आयातित न्यूज़प्रिंट पर सीमा शुल्क के साथ आयात शुल्क लगाना शुरू किया, जिससे समाचार पत्रों की कीमतों में वृद्धि हुई और प्रसार पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

- The case arose when the Indian Express Newspapers challenged the **imposition of customs duty and import duty on newsprint**, arguing that it violated their fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution.

यह मामला तब उठा जब इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों ने न्यूज़प्रिंट पर सीमा शुल्क और आयात शुल्क के आरोपण को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनकी वाक और अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।



Impact of Duties

शुल्क का प्रभाव



The imposition of customs and import duties on newsprint **directly affected newspaper publishing costs**.
न्यूज़प्रिंट पर सीमा शुल्क और आयात शुल्क के आरोपण ने सीधे समाचार पत्रों के प्रकाशन लागत को प्रभावित किया।



Higher costs lead to **increased prices for newspapers**, potentially reducing their circulation and reach.
उच्च लागत से समाचार पत्रों की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे उनका प्रसार और पहुँच संभावित रूप से कम हो जाती है।



This financial burden curtailed the freedom of the press by making it **economically unviable for smaller newspapers** to operate.
इस वित्तीय बोझ ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया, क्योंकि छोटे समाचार पत्रों के लिए संचालन आर्थिक रूप से असंभव हो गया।



Such economic restrictions were an indirect method of curtailing the freedom of the press and thus **violated Article 19(1)(a)**.
ऐसी आर्थिक बाधाएँ प्रेस की स्वतंत्रता को अप्रत्यक्ष रूप से सीमित करने का तरीका थीं और इस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती थीं।

Indian Express Newspapers vs.

इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम



Government's Arguments

सरकार के तर्क



The imposition of customs and import duties on newsprint was a matter of economic policy, falling within the government's jurisdiction.

समाचार पत्र कागज पर आयात शुल्क और कस्टम लगाना आर्थिक नीति का मामला था, जो सरकार के अधिकार में आता है।



The duties were imposed to regulate the economy and generate revenue, not to restrict the freedom of the press.

शुल्क अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने और राजस्व अर्जित करने के लिए लगाया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं।



The press, like any other industry, was subject to taxation, and these duties were a legitimate exercise of the government's power.

प्रेस, किसी अन्य उद्योग की तरह, कराधान के अधीन था, और ये शुल्क सरकार की वैध शक्ति का प्रयोग थे।



There was no direct or intentional infringement on the freedom of speech and expression.

स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई प्रत्यक्ष या जानबूझकर उल्लंघन नहीं था।



Union of India (1985)

भारत संघ (1985)



Judgment निर्णय



The apex court held that the government can impose taxes on the newsprint but only within reasonable limits, which does not affect the circulation of the papers.

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सरकार समाचार पत्र कागज पर कर लगा सकती है, लेकिन केवल उचित सीमाओं के भीतर, जो पत्रों के परिसंचरण को प्रभावित नहीं करता।



The court ordered the government to review its taxation policy because the excessive nature of the tax was neither proven by the petitioners nor refuted by the respondent.

न्यायालय ने सरकार को अपनी कर नीति की समीक्षा करने का आदेश दिया क्योंकि कर की अत्यधिक प्रकृति न तो याचिकाकर्ताओं द्वारा सिद्ध की गई और न ही प्रतिवादी द्वारा खंडित की गई।



The judgment acknowledged that while the state could regulate the economic aspects of newspapers, such regulations must not curtail the essential freedom of the press.

निर्णय ने स्वीकार किया कि जबकि राज्य समाचार पत्रों के आर्थिक पहलुओं को विनियमित कर सकता है, ऐसे विनियम आवश्यक रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते।





THE SECRETARY, MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING vs. Cricket Association of Bengal (1995)

सूचना और प्रसारण सचिव, भारत सरकार बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (1995)

Overview / अवलोकन

Private Broadcasting Rights / निजी प्रसारण अधिकार



The dispute arose when the Cricket Association of Bengal (CAB) wanted to telecast cricket matches independently, bypassing the state-controlled Doordarshan.

विवाद तब उत्पन्न हुआ जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने राज्य नियंत्रित दूरदर्शन को दरकिनार करते हुए स्वतंत्र रूप से क्रिकेट मैचों का प्रसारण करना चाहा।



The CAB arranged for private broadcasters to cover an international cricket tournament but faced resistance from the government, which insisted that only Doordarshan could broadcast the matches.

CAB ने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए निजी प्रसारकों की व्यवस्था की, लेकिन सरकार ने विरोध किया और कहा कि केवल दूरदर्शन ही मैचों का प्रसारण कर सकता है।

Arguments of Cricket Association of Bengal क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के तर्क



The government's control of broadcasting infringed upon the basic right to freedom of speech and expression as stated in Article 19(1)(a) of the Indian Constitution.
सरकार का प्रसारण पर नियंत्रण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित भाषण और अभिव्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।



The broadcasting of matches should not be limited to state-run channels; private broadcasters ought to have the opportunity to broadcast such content.
मैचों का प्रसारण केवल राज्य संचालित चैनलों तक सीमित नहीं होना चाहिए; निजी प्रसारकों को ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करने का अवसर मिलना चाहिए।



Doordarshan's monopoly on broadcasting rights limited the variety of perspectives and content accessible to the public.
दूरदर्शन के प्रसारण अधिकारों पर एकाधिकार से दर्शकों को उपलब्ध दृष्टिकोण और सामग्री की विविधता सीमित हो गई।



JRF Media Academy by Rohit



Judgment

निर्णय



- In early 1995, the Indian Supreme Court criticised the long-held government monopoly over broadcasting and declared **airwaves public property**.
- 1995 की शुरुआत में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसारण पर लंबे समय से चले आ रहे सरकारे एकाधिकार की आलोचना की और **आकाशवाणी को सार्वजनिक संपत्ति** घोषित किया।



- The right to impart and receive information, protected under Article 19(1)(a), includes **access to telecasting**.
- अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सूचना देने और प्राप्त करने का अधिकार **टेलीकेस्टिंग तक पहुँच** को शामिल करता है।



- However, this right is subject to the **regulation of public property (airwaves)**.
- हालाँकि, यह अधिकार **सार्वजनिक संपत्ति (आकाशवाणी)** के विनियमन के अधीन है।



Aftermath

परिणाम



- **End of Monopoly:** The case marked the conclusion of the state's broadcasting monopoly, opening doors for private broadcasters to function under a regulated system.
- **एकाधिकार का अंत:** इस मामले ने राज्य के प्रसारण एकाधिकार का अंत किया और निजी प्रसारकों के लिए विनियमित प्रणाली के तहत काम करने के द्वार खोले।



- **Expansion of Media:** Led to the proliferation of private TV channels and radio stations, diversifying the media landscape.
- **मीडिया का विस्तार:** निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों की वृद्धि हुई, जिससे मीडिया परिदृश्य में विविधता आई।





Shreya Singal Vs Union of India 2015

श्रेय सिंहल बनाम भारत संघ 2015



OFFENSIVE



Shreya Singal Vs Union of India 2015

श्रेय सिंहल बनाम भारत संघ 2015



- The Shreya Singhal vs. Union of India case is a **landmark** judgment in Indian constitutional law, primarily concerning the freedom of speech and expression in the **digital age**.
- श्रेय सिंहल बनाम भारत संघ का मामला भारतीय संवैधानिक कानून में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो मुख्य रूप से डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
- The case challenged the constitutionality of **Section 66A** of the **Information Technology Act, 2000**, which criminalized the sending of offensive messages through communication services.
- इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने को अपराध बनाती थी।



Section 66 A of IT Act 2000

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A

This section of the Information Technology Act made it a criminal offence to send information that is grossly offensive or has a menacing character, among other things. The provision was criticized for being vague and overly broad, leading to arbitrary arrests and suppression of free speech.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की इस धारा के तहत अत्यंत आपत्तिजनक या धमकाने वाले स्वभाव की जानकारी भेजने को अपराध बनाया गया था। इस प्रावधान की अस्पष्टता और अत्यधिक व्यापकता के कारण इसकी आलोचना की गई, जिससे मनमानी गिरफ्तारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हुआ।

Shreya Singal Vs Union of India 2015

श्रेय सिंहल बनाम भारत संघ 2015



- Police arrested two women for posting allegedly offensive and objectionable comments on Facebook about the propriety of shutting down the city of Mumbai after the death of Balasahab Thakery.
- बालासाहेब ठाकरे की मृत्यु के बाद मुंबई शहर को बंद करने की उचितता पर फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया।



- The police made the arrests under **Section 66A** of the **Information Technology Act of 2000 (ITA)**, which punishes any person who sends through a computer resource or communication device any information that is grossly offensive, or with the knowledge of its falsity, the information is transmitted to cause annoyance, inconvenience, danger, insult, injury, hatred, or ill will.

- पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (ITA) की धारा 66A के तहत गिरफ्तार किया, जो किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से ऐसी जानकारी भेजता है जो अत्यंत आपत्तिजनक हो या जिसे वह झूठा जानते हुए भी भेजता है और जिसका उद्देश्य किसी को परेशान करना, असुविधा, खतरा, अपमान, चोट, घृणा या दुर्भावना उत्पन्न करना हो।



JRF Media Academy by Rohit

Shreya Singhal's Argument

श्रेया सिंघल का तर्क



Vagueness: Section 66A was vague and uncertain, lacking clear definitions of what constituted offensive content. This vagueness led to arbitrary enforcement.

अस्पष्टता: धारा 66A अस्पष्ट और अनिश्चित थी, जिसमें यह स्पष्ट परिभाषित नहीं था कि कौन-सी सामग्री आपत्तिजनक मानी जाएगी। इससे मनमाने ढंग से लागू की गई।



Violation of Freedom of Speech: The section violated Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, which guarantees the fundamental right to freedom of speech and expression.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन: यह धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती थी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिवान की गारंटी देता है।



Disproportionate Restrictions: The law imposed disproportionate restrictions on free speech, far beyond the reasonable restrictions permitted under Article 19(2) of the Constitution.

अत्यधिक प्रतिबंध: यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाता था, जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित युक्तिसंगत प्रतिबंधों से कहीं अधिक है।

Judgment

निर्णय



- In a 52-page judgement, the Supreme Court struck down Section 66-A of the Information Technology Act.
- 52 पेज के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A को निरस्त कर दिया।



- The Court held that Section 66A was vague and overbroad, leading to arbitrary application and enforcement. The terms used in the section, such as "grossly offensive" and "menacing character," were not clearly defined.

- अदालत ने माना कि धारा 66A अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक थी, जिससे मनमाने ढंग से लागू और प्रवर्तन किया गया। इस धारा में प्रयुक्त शब्द जैसे "अत्यधिक आपत्तिजनक" और "धमकाने वाला चरित्र" स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे।



- **Chilling Effect on Free Speech:** The Court observed that the vague and broad language of Section 66A had a chilling effect on free speech, deterring individuals from expressing their views online out of fear of prosecution.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ठंडा प्रभाव: अदालत ने देखा कि धारा 66A की अस्पष्ट और व्यापक भाषा का स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर ठंडा प्रभाव पड़ा, जिससे लोग अभियोजन के डर से ऑनलाइन अपने विचार व्यक्त करने से बचते थे।



The first amendment to Article 19(1) (a) of the Indian Constitution was mainly aimed to include _____ as a cause for reasonable restriction.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) में प्रथम संशोधन मुख्य रूप से _____ को युक्तिसंगत प्रतिबंध के कारण के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था।

- (A) Public order / लोक व्यवस्था
- (B) Censorship / सेंसरशिप
- (C) Newspaper registration / समाचार पत्र पंजीकरण
- (D) Licensing printing press / मुद्रण प्रेस का लाइसेंस



In Virendra Vs. State of Punjab, Section (3)(1) of the Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, was struck down on the grounds of

विरेंद्र बनाम पंजाब राज्य मामले में, पंजाब विशेष शक्तियाँ (प्रेस) अधिनियम, 1956 की धारा (3)(1) को निम्नलिखित आधारों पर निरस्त कर दिया गया था

1. Procedural unreasonableness / प्रक्रियात्मक अतार्किकता
2. Public interest / सार्वजनिक हित
3. Over-regulation / अति-नियमन
4. Political ill-will / राजनीतिक दुर्भावना



The Newspaper (price and Page) Act, of 1956, was challenged in the Supreme Court by समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी

- (A) The pioneer / द पायनियर
- (B) Sakal / सकल
- (C) Gujarat Samachar / गुजरात समाचार
- (D) The Thanthi / द थांथि



Bennet, Coleman & Co Vs. Union of India case in early 1970s deals with बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ मामला 1970 के दशक की शुरुआत में निम्नलिखित से संबंधित है

- (A) Pre-censorship / पूर्व- सेंसरशिप
- (B) Journalist wages / पत्रकारों की मजदूरी
- (C) Editorial perspective / संपादकीय दृष्टिकोण
- (D) Newsprint policy / न्यूज़प्रिंट नीति

JRF Media Academy by Rohit

Match the following / निम्नलिखित का मिलान कीजिए

(Newspaper Case) (समाचार पत्र मामले)	(Issues/act) (मुद्दे/अधिनियम)
(a) Express newspapers (एक्सप्रेस समाचार पत्र)	(i) Newspaper (Price and Page) Act, 1956 (समाचार पत्र (मूल्य एवं पृष्ठ) अधिनियम, 1956)
(b) Sakal newspaper (सकल समाचार पत्र)	(ii) Breach of legislative privilege (विधायी विशेषाधिकार का उल्लंघन)
(c) Bennett and Coleman (बेनेट और कोलमैन)	(iii) Imposition of tax to limit circulation (प्रसार सीमित करने हेतु कर का आरोपण)
(d) Searchlight newspaper. (सर्चलाइट समाचार पत्र)	(iv) Newsprint Control Order, 1962 (न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 1962)

Codes:

कूट:

(a), (b), (c), (d)

1. (iii), (i), (iv), (ii) ✓

2. (iv), (ii), (i), (iii)

3. (i), (ii), (iii), (iv)

4. (ii), (i), (iv), (iii)

In the case of Ministry of Information and Broadcasting Vs. Cricket Association of Bengal, the Supreme Court judgement led to :

मंत्रालय सूचना और प्रसारण बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुआ :

(A) censorship of foreign journals
(विदेशी पत्रिकाओं पर सेंसरशिप)

(B) freeing electronic media from government monopoly
(इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकारी एकाधिकार से मुक्त करना) ✓

(C) imposition of surcharge on media advertisements
(मीडिया विज्ञापनों पर अधिभार का आरोपण)

(D) restriction of media coverage of cricket matches
(क्रिकेट मैचों की मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध)

JRF Media Academy by Rohit